रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2345] नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 17, 2014/कार्तिक 26, 1936
No. 2345] NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 17, 2014/KARTIKA 26, 1936

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय
अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 नवम्बर, 2014

का.आ. **2925**(अ).—जबकि केन्द्र सरकार ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ.1035(अ), तारीख 7 मई, 2010 के द्वारा केरल राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 17 के कुट्टीपुरम-इडापल्ली खंड के कि.मी. 318.000 से कि.मी. 438.600 तक खंड को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सुपुर्द किया था ;

और जबकि, केन्द्रीय सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग फीस (दरों का निर्धारण एवं संग्रहण) नियमावली, 2008 के नियम 3 के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत सरकार की अधिसूचना संख्या का आ. 2325(अ) दिनांक 31.7.2013 द्वारा केरल राज्य में कि.मी. 431.500 (विद्यमान चैनेज) में वारापूझा पुल और कि.मी. 437.250 (विद्यमान चैनेज) में इडापल्ली आरओबी के उपयोग के लिए यांत्रिक वाहनों पर फीस एकत्र करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को अधिकृत किया था ;

और जबकि, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 5 के तहत जारी का. आ. सं. 676(अ), दिनांक 5 मार्च, 2014 के साथ पठित भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना सं.का.आ.1096(अ), तारीख 4 अगस्त, 2005 के अधीन राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 17 [कि.मी. 18.000 से 318.000 (कर्नाटक/केरल सीमा-कन्नूर-वेंगालन-कुट्टीपुरम) तक छोड़कर] से संबंधित कार्यों के निष्पादन के संबंध में कार्य केरल राज्य सरकार (जो इसके बाद "प्राधिकरण के रूप में उल्लिखित है) द्वारा किए जाएंगे ;

और जबकि, केन्द्रीय सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सा.का.नि. 838(अ), दिनांक 5 दिसम्बर, 2008 और सा.का.नि. 950(अ), दिनांक 3 दिसम्बर, 2010, सा.का.नि. 15(अ), दिनांक 12 जनवरी, 2011, सा.का.नि. 756(अ) दिनांक 12 अक्तूबर, 2011 और सा.का.नि. 778(अ) दिनांक 16 दिसम्बर, 2013 तथा सा.का.नि. 26(अ) दिनांक 16 जनवरी, 2014 के तहत संशोधित राष्ट्रीय राजमार्गों के खंडों, स्थायी पुलों, बाइपासों और सुरंगों के उपयोग के लिए फीस के संग्रहण के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग फीस (दरों का निर्धारण एवं संग्रहण) नियमावली, 2008 तैयार की है ;

अत: अब, राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का निर्धारण और संग्रहण) नियम, 2008 के साथ पठित और समय-समय पर संशोधित (जो इसके आगे "नियम" के रूप में उल्लिखित है) तथा अधिसूचना का.आ. सं. 2325 दिनांक 31.7.2013 के अधिक्रमण में राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा केरल राज्य में कि.मी. 431.500 (विद्यमान चैनेज) में वारापूझा पुल और कि.मी. 437.250 (विद्यमान चैनेज) में इडापल्ली आरओबी के उपयोग के लिए नीचे दी गई तालिका में विनिर्दिष्ट वाहनों के प्रकार पर तालिका (जो इसके बाद 'आधार दर' के रूप में उल्लिखित है) में विनिर्दिष्ट दरों पर फीस उद्गृहीत करती है तथा केरल राज्य सरकार को उक्त फीस अपने अधिकारियों अथवा किसी ठेकेदार के माध्यम से एकत्र किए जाने के लिए अधिकृत करती है, अर्थात् :--

तालिका-1

वाहन का प्रकार	**आधार वर्ष 2007-08 के लिए फीस की प्रति किमी आधार दर (रु. में)**
(1)	(2)
कार, जीप, वैन या हल्के मोटर वाहन	0.65
हल्के वाणिज्यिक वाहन, हल्के माल वाहन या मिनी बस	1.05
बस या ट्रक (दो धुरी)	2.20
तीन धुरी वाणिज्यिक वाहन	2.40
भारी निर्माण मशीनरी (एचसीएम) या अर्थ मूविंग उपस्कर (ईएमई) या बहु धुरीय वाहन (एमएवी) (4 से 6 धुरी)	3.45
विशाल आकार के वाहन (7 या अधिक धुरी)	4.20

1. इसके अंतर्गत संग्रहीत और उद्ग्रहीत फीस पथकर प्लाजाओं के लिए विनिर्दिष्ट निवल सड़क लंबाई हेतु निम्नलिखित पथकर प्लाजाओं में देय और भुगतान योग्य होगी :--

पथकर प्लाजा (चैनेज) की अवस्थिति	**लंबाई (किमी) जिसके लिए फीस संदेय है।**	**दर, जिस पर फीस संदेय है।**
एर्नाकुलम जिले में गांव वारापूझा, किमी 432.000 (विद्यमान चैनेज) वारापूहा पुल।	4.082 किमी (वारापूझा पुल की पहुंच सड़क के 2.912 किमी + इडापल्ली आरओबी की पहुंच सड़क के 1.170 किमी)	उक्त तालिका-1 में उल्लिखित आधार दर का 100%

2. उपर्युक्त के अतिरिक्त, निम्नलिखित पथकर प्लाजाओं पर 60 मीटर से अधिक लंबाई वाली निम्नलिखित अवसंरचनाओं का उपयोग करने के लिए, 10 के समीकरण गुणक से ऐसी अवसंरचनाओं की लंबाई को गुणा करके अवसंरचनाओं की लंबाई को राजमार्ग की समरूप लंबाई में परिवर्तित करके निम्नलिखित फीस भी देय और भुगतान योग्य होगी :--

पथकर प्लाजा की अवस्थिति (चैनेज)	**समरूप सड़क लंबाई में परिवर्तित किए जाने वाले अवसंरचनाओं की लंबाई (किमी में)**	**समरूप सड़क लंबाई (किमी में)**	**भुगतान योग्य फीस दर**
एर्नाकुलम जिले में गांव वारापूझा, किमी 432.000 (विद्यमान चैनेज) वारापूहा पुल।	1.638 किमी (वारापूझा पुल की लंबाई 1.026 किमी + इडापल्ली आरओबी की लंबाई 0.612 किमी)	16.38 किमी	उक्त तालिका-1 में उल्लिखित आधार दर का 100%

3. गैर-वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए पंजीकृत किसी यांत्रिक वाहन के स्वामी और पथकर प्लाजा से 20 किमी की दूरी के भीतर निवास करने वाले व्यक्ति के लिए मासिक पास की दर वर्ष 2014-15 के लिए 225/- रु. (दो सौ पच्चीस रुपए मात्र) है और यह राष्ट्रीय राजमार्ग फीस (दरों का निर्धारण और संग्रहण) नियम, 2008 के उपबंधों के अनुसार प्रत्येक वर्ष संशोधन के अध्यधीन है।

4. राजमार्ग खंड पर बहुल यात्राओं के लिए निम्नलिखित दरों पर पास जारी किए जाएंगे, अर्थात् :--

भुगतान योग्य धनराशि	अनुमत एकतरफा यात्राओं की अधिकतम संख्या	वैधता की अवधि
एकतरफा यात्रा के लिए फीस का डेढ़ गुना	दो	भुगतान के समय से 24 घंटे
पचास एकल यात्राओं के लिए भुगतान योग्य फीस की राशि का दो तिहाई	पचास	भुगतान की तारीख से एक महीना

5. फीस प्लाजा स्थित होने वाले जिले में पंजीकृत वाणिज्यिक वाहनों (राष्ट्रीय परमिट के अधीन प्रचालित किए जा रहे वाहनों को छोड़कर) के लिए फीस उस श्रेणी के वाहन हेतु निर्धारित दर की 50% होगी, बशर्ते कि ऐसे वाणिज्यिक वाहनों के उपयोग के लिए कोई सर्विस रोड या वैकल्पिक सड़क उपलब्ध न हों।

6. ऐसे अधिक भार लदे किसी यांत्रिक वाहन का चालक अथवा स्वामी अथवा प्रभारी व्यक्ति राष्ट्रीय राजमार्ग पर अधिक भार लदे वाहन का प्रवेश करवाते समय पथकर संग्रहण एजेंसी को यांत्रिक वाहनों की ऐसी श्रेणी के लिए लागू शुल्क का 10 गुना के समतुल्य शुल्क अदा करने के लिए जिम्मेदार होगा तथा वह राजमार्ग खंड का उपयोग करने के लिए तब तक हकदार नहीं होगा जब तक ऐसे यांत्रिक वाहन से लदा अतिभार हटाया नहीं जाता।

7. सभी परिभाषाएं, यांत्रिक वाहनों की श्रेणी, इनके अनुमत्य भार, छूट प्राप्त वाहनों की श्रेणी, सर्विस रोड, वैकल्पिक सड़क इत्यादि कथित नियमों में विनिर्दिष्ट, परिभाषाओं के अनुरूप होंगी।

8. फीस की दरें कथित नियम के नियम 12 के अनुसरण में प्रयोक्ताओं के सूचनार्थ प्रदर्शित करनी होंगी।

9. यांत्रिक वाहनों से फीस की वास्तविक राशि तालिका-1 में यथा-उल्लिखित आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति किमी फीस की आधार दर के आधार पर प्रभारित होगी और छूटों की गणना केरल राज्य द्वारा की जाएगी। प्राधिकरण द्वारा इसे रियायतग्राही के माध्याम से प्रत्येक अंग्रेजी और देशी भाषा में कम से कम एक समाचार पत्र में प्रकाशित कराया जाएगा और तत्पाश्चात् कथित नियमों के नियम 5 के अनुसरण में वार्षिक रूप से संशोधित कराया और प्रकाशित कराया जाएगा।

10. परियोजना (वारापूझा पुल और इडापल्ली आरओबी) की अनुमानित पूंजीगत लागत 99.82 करोड़ रुपए है। केरल राज्य द्वारा प्रयोक्ता फीस के माध्यम से उद्ग्रहीत पूंजीगत लागत की वसूली का एक रिकार्ड बनाया जाएगा तथा पूंजीगत लागत की वसूली के पश्चात उद्ग्रहीत की जाने वाली फीस दरों के 40% तक कम हो जाएगी तथा कथित नियमों के अनुसरण में वार्षिक रूप से संशोधित की जाएगी। 31.3.2014 तक प्रयोक्ता फीस से कुल 12.611 करोड़ रूपए (जिसमें वारापूझा पुल से 12.611 करोड़ रुपए तथा इडापल्ली आरओबी से कोई लागत वसूल नहीं हुई, शामिल है) की धनराशि वसूल की गई है।

[फा. सं. एनएचएआई/13013/744/12-13/सीओ/जीसी कोझीकोड (431.500-437.250)]

अलकेश शर्मा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th November, 2014

S.O. 2925(E).—Whereas vide notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number S.O. 1035(E) dated 7th May, 2010 issued under section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Central Government entrusted the stretch from km 318.000 to km 438.600 of

Kuttipuram - Edapally section of National Highway No. 17 in the State of Kerala to the National Highways Authority of India;

And whereas, in exercise of the powers conferred by Section 7 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) read with Rule 3 of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008, the Central Government by notification number S.O. 2325 (E) dated 31.07.2013 of the Government of India authorized National Highways Authority of India to collect fee on mechanical vehicles for the use of the Varapuzha Bridge at km 431.500 (Existing Chainage) and Edapally ROB at Km 437.250 (Existing Chainage) in the State of Kerala;

And whereas vide notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number S.O 1096 (E) dated 4th August, 2005 read with S.O. No. 676 (E) dated 5th March, 2014 issued under section 5 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), functions in relation to the execution of works pertaining to National Highway No. 17 [excluding from km 18.000 to km 318.000 (Karnataka/Kerala Border-Kannur-Vengalam-Kuttipuram)] shall be exercisable by State Government of Kerala (hereinafter referred to as the "Authority");

And whereas, the Central Government, in exercise of the powers conferred by Section 9 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) has framed the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008, vide G.S.R. 838 (E) dated the 5th December, 2008 and amended vide G.S.R. 950 (E) dated 3rd December, 2010, G.S.R. 15 (E) dated 12th January, 2011, G.S.R. 756 (E) dated 12th October, 2011 and G.S.R. 778 (E) dated 16th December, 2013 and G.S.R. 26 (E) dated 16th January, 2014 for collection of fee for use of sections of National Highways, permanent bridges, bypasses and tunnels;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 7 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), read with rule 3 of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008 and amended from time to time (hereinafter referred to as the "said Rules") and in supersession of the notification bearing S.O. No. 2325 (E) dated 31.07.2013, the Central Government hereby levies the fee at the rates specified in the Table (hereinafter referred to as "base rate") on the Type of Vehicles specified in Table below, for the use of Varapuzha Bridge at km 431.500 (Existing Chainage) and Edapally ROB at km 437.250 (Existing Chainage) in the State of Kerala and authorizes the State Government of Kerala to collect, either through its officials or through a contractor, the said fee, namely :

TABLE 1

Type of Vehicle	**Base rate per Km of fee for the base year 2007-08 (in Rupees)**
(1)	(2)
Car, Jeep, Van or Light Motor Vehicle	0.65
Light Commercial Vehicle, Light Goods Vehicle or Mini Bus	1.05
Bus or Truck (Two Axles)	2.20
Three-axle commercial Vehicles	2.40
Heavy Construction Machinery (HCM) or Earth Moving Equipment (EME) or Multi Axle Vehicle (MAV) (four to six axles)	3.45
Oversized Vehicle (Seven or More axles)	4.20

1. The fee levied and collected hereunder shall be due and payable at the following toll plaza for net road length specified for such toll plaza:

Location of Toll Plaza (Chainage)	**Length (in km) for which Fee is payable**	**Rate at which Fee is payable**
Km 432.000 (Existing Chainage) Varapuha Bridge , Village –Varapuzha in Ernakulam District	4.082 km (2.912 km of Approach road of Varapuzha bridge + 1.170 km of Approach road of Edapally ROB)	100 % of base rate mentioned in Table-1 above

2. In addition to above, the following fee shall also be due and payable for the use of the following structures having length more than 60m at the following toll plaza(s) by converting the length of structures in to an equivalent length of highway by multiplying the length of such structures by an equalization factor of 10:

Location of toll plaza (chainage)	Length of structures (in km) to be converted into equivalent road length	Equivalent road length (in km)	Rate at which fee is payable
Km 432.000 (Existing Chainage) Varapuha Bridge, Village Varapuzha in Ernakulam District	1.638 km (1.026 km length of Varapuzha Bridge + 0.612 km length of Edapally ROB)	16.38 km	100 % of base rate mentioned in Table 1 above

3. The rate of monthly pass for a person who owns a mechanical Vehicle registered for non-commercial purposes and resides within a distance of 20 Km from the toll plaza is Rs. 225/- (Rupees Two Hundred and twenty five only) for the year 2014 –2015, which is subject to revision every year as per the provisions of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008.

4. For multiple journeys, passes shall be issued at the following rates, namely.

Amount Payable	Maximum number of on way journeys allowed	Period of validity
One and one half times of the fee for one way journey	Two	Twenty four hours from the time of payment.
Two–third of amount of the fee payable for fifty single journeys	Fifty	One month from date of payment

5. Fee for commercial Vehicle (excluding Vehicles Plying under National Permit) registered in the district where the fee plaza falls shall be 50 % of the prescribed rate for that category of Vehicles provided no service road or alternative road is available for use of such commercial Vehicles.

6. The driver or owner or a person in charge of a Mechanical vehicle which is loaded in excess of permissible load specified for its category, shall be liable to pay fee for entering the overloaded vehicle on the National Highway to the toll collecting agency, equal to ten times of the fee applicable to such category of mechanical vehicle and shall not be entitled to make use of the highway section unless the excess load has been removed from such mechanical vehicle.

7. All definitions including category of mechanical vehicles, its permissible load, category of exempted vehicles, service road, alternative road etc. shall be as per definitions specified in the said rules.

8. The fee rates shall be displayed for information of the users in accordance with the rule 12 of the said rules.

9. Based on the base rate of fee for the base year 2007-08 as mentioned in the Table-1, the actual amount of fee to be charged from the mechanical vehicles and the discounts will be calculated by the State of Kerala on the basis of completed length of the project and revised annually in accordance with the rule 5 of the said rules and the same shall be published in at least one news paper, each in English & Vernacular Language accordingly.

10. The estimated capital cost of the project is 99.82 Crores (Varapuzha Bridge and Edapally ROB). The State of Kerala will maintain a record of the recovery of capital cost realized through user fee and after recovery of the capital cost, the fee leviable shall be reduced to 40% of the rates and shall be revised annually in accordance with the said rules. A total of Rs. 12.611 Crore (comprising of Rs. 12.611 crore from Varapuzha Bridge and no recovery of cost against Edapally ROB) has been recovered from the user fee realized till 31.03.2014.

[F. No. NHAI/13013/744/12-13/CO/GC Kozhikode (431.500 - 437.250)]

ALKESH SHARMA, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.